फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 28.06.2024

व्यापारी को विश्वास में लेकर सामान खरीद कर ठगी करने वाले गैंग के 03 नफर अभियुक्तगण को थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 36 घण्टे में अपराध का सफल अनावरण किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री** विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस बल व एसओजी टीम/सर्विलांस सेल द्वारा थाना कादरीगेट के मु0अ0सं0-173/24 धारा 420/411 भादवि से सम्बंधित प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर बरादमगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. हरीश वर्मा पुत्र राजकुमार वर्मा निवासी A 362 न्यू पंचवटी कालोनी कोत0 घण्टाघर जनपद गाजियाबाद।
2. नूर आलम खान पुत्र नूर मिया खान निवासी मदनी नगर थाना- शुक्लागंज जनपद उन्नाव हाल पता फैतपुलगंज कानपुर।
3. मो0 अरकान पुत्र मो0 इदरीश निवासी मदनी नगर थाना- शुक्लागंज जनपद उन्नाव।

घटना का विवरणः- थाना कादरीगेट क्षेत्र से दिनांक 23.05.2024 से 31.05.2024 के मध्य कुछ व्यापारियों से अज्ञात लोगों द्वारा सामान खरीदा गया था । पहले दिनांक 28,29.05.2024 को सामान खरीद कर व्यापारियों को उनका पैसा दे दिया गया और जब व्यापारियों को विश्वास हो गया तो दिनांक 31/05/2024 को पुनः09 व्यापारियों से लगभग 4 लाख रुपये का सामान खरीदा गया और रुपये कल देने की बात कहकर सामान लेकर ठगी कर अभियुक्तगण फरार हो गये थे । जिसके सम्बंध में थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0-173/24 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत हुआ था । थाना कादरीगेट पुलिस बल व एसओजी टीम फतेहगढ़ व सर्विलांस टीम फतेहगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 27/05/2024 को जनपद गाजियाबाद के न्यू पंचवटी कालोनी थाना-कोत0 घण्टाघर क्षेत्र से समय 11:30 PM बजे 03 अभियुक्तगण 1. हरीश वर्मा पुत्र राजकुमार वर्मा निवासी A 362 न्यू पंचवटी कालोनी कोत0 घण्टाघर जनपद गाजियाबाद 2. नूर आलाम खान पुत्र नूर मिया खान निवासी मदनी नगर थाना- शुक्लागंज जनपद उन्नाव हाल पता फैतपुलगंज कानपुर 3. मोहम्माद अरकान पुत्र मो0 इदरीश निवासी मदनी नगर थाना- शुक्लागंज जनपद उन्नाव को गिरप्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछने पर एक साथ बताया कि हम तीनो लोगो अनुज वर्मा के साथ मिलकर बडे शहर जाकर फर्जी नाम से किराये पर दुकान लेते हैं और आसपास के व्यापारियों से पहले बडी मात्र में सामान खरीदते हैं जब व्यापारियों को हम पर विश्वास हो जाता हैं तो हम काफी कीमत का सामान व्यापारियों से खरीद लेते हैं सामान के पैसे अगले दिन की बात कहकर हम सामान लेकर प्राइवेट वाहन से भरकर दुकान खाली कर भाग जाते हैं । इस प्रक्रिया मे हम लोग फर्जी मोबाइल नम्बरों का प्रयोग करते हैं व्यापारियों को फर्जी नम्बर ही देते हैं ।

बरामदगी का विवरणः-

1. ट्राउजर-45 पीस 2.अण्डरबीयर-70 पीस 3.हाप नेकर-21 पीस

बरामदगी का विवरण :-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त हिमांशु उर्फ लक्की ठाकुर का आपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0 -- 126/24 धारा 147/307/504/506 कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. व0उ0 नि0 मदनलाल पिपिल थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
3. का0 योगेन्द्र सिंह कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
4. का0 विजय कुमार कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :- 28.06.2024

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को 01 अदद तमंचा, 02 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डॉ0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार**, कोतवाली प्रभारी कोतवाली फर्रुखाबाद के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पर दिनांक 26.06.2024 को पंजीकृत मु0अ0सं0 126/24 धारा-147/307/504/506 भादवि0 में अभियुक्त हिमांशू सिंह उर्फ लक्की ठाकुर पुत्र मनोज सिंह निवासी चौक दरान पल्ला थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर , 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. हिमांशू सिंह उर्फ लक्की ठाकुर पुत्र मनोज सिंह निवासी चोव दरान पल्ला थाना कोतवाली फर्रूखाबाद।

घटना का विवरण:- दिनांक 26.06.2024 समय करीब रात के 21.30 बजे हिमांशू सिंह उर्फ लक्की ठाकुर पुत्र मनोज सिंह निवासी चोव दरान पल्ला थाना कोतवाली फर्रूखावाद द्वारा अपने साथीयो के साथ मिलकर कौशलेन्द्र व उसके साथी अनुज के साथ मारपीट की व जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया था। जिसकी गोली अनुज उपरोक्त के पैर मे लग गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे कौशलेन्द्र सिंह पुत्र स्व० सिद्धनाथ सिंह नि0 -आवास विकास हिन्दुस्तान होटल के पीछे बढ़पुर थाना कादरीगेट जनपद फरुखाबाद द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 126/24 धारा 307/147/504/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुये अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त हिमांशू उपरोक्त द्वारा पूछने पर बताया कि साहब आज से करीब 10-12 दिन पहले जो हमारे दोस्त का ग्रुप है। जिसमे हम लोगो द्वारा ईशु कटियार जो फतेहगढ मे रहता है के साथ मारपीट कर दी थी। उसी के सम्बन्ध मे कौशलेन्द्र उर्फ लकी जो कि मेरी दुर की रिश्तेदारी मे आते है। जो ईशु कटियार के दोस्त है। मेरे पास मे कौशलेन्द्र उर्फ लक्की का फोन आया था। जिसमे वो मेरे से रंजिशन टेडीमेडी बाते कर रहे थे तथा मिलने के लिये बुला रहे थे। मुझे इस बात का आभास था कि वह कही हमारे साथ मारपीट न कर दे। इस वजह से मै भी अपने दोस्तो के साथ रहता हु। जिनके नाम लुक्का उर्फ वरूण अग्निहोत्री , बल्लू उर्फ अभय ठाकुर , राहुल वर्मा , गोलू उर्फ प्रथम मिश्रा तथा सोनी तिवारी है। हम सब लोग आज उनको सबक सिखाने के उद्देश्य से हथियारो से लैस होकर वहां आये और आने के बाद मे हमारी कौशलेन्द्र व उसके दोस्त अनुज के साथ मारपीट व धक्का मुक्की होने लगी तथा फिर मेरे द्वारा उसके ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया बीच बचाव मे तमंचे मे हाथ लगाने के कारण तमंचे से गोली अनुज के पैर मे लग गयी थी। उसी समय हमे पुलिस का सायरन सुनाई दिया और हम सभी लोग वहां से भाग गये थे। मै पहली गली मे बायी तरफ मुडकर भाग गया था और सभी लग सामने की तरफ भाग गये थे। साहब हमसे गलती हो गयी है।

4. बिलीच क्रीम-173 पीस 5. बाइल्ड स्टोन पाउडर-10 डिब्बे 6. पार्क एबेन्यू बॉडीस्प्र-08 डिब्बे 7. बाइट सेन्डो वनियान-38 पीस 8. ग्रीन टी-20 पैकेट 9. नटराज इरेजर-39 पैकेट 10. सैलो विनर पैन-14 पैकेट 11. 49,500 नगद रुपये।

नोट-प्राइज के हिसाब से कुल कीमत- 1,25000 रुपये

अभि0 हरीश वर्मा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 173/24 धारा- 420/411 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़

अभि0 नूर आलम खान का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0- 173/24 धारा- 420/411 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़

अभि0 मो0 अरकान का आपराधिक इतिहास :-

1.मु0अ0सं0- 173/24 धारा- 420/411 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

एसओजी टीम

1. उ0नि0 जितेन्द्र पटेल एसओजी प्रभारी
2. हे0का0 गजराज सिंह
3. हे का0 बलवीर सिंह
4. का0 दिव्यांशु
5. का0 विकास चन्द्र
6. आ0 चालक प्रिन्स युवराज

सर्विलान्स टीम

1. उ0नि0 विशेष कुमार प्रभारी सर्विलान्स
2. हे0 का0 अनुराग
3. हे0 का0 करन यादव
4. हे0 का0 संदीप राव
5. हे0 का0 अजय सिंह

थाना कादरीगेट पुलिस टीम

1. प्र0नि0 अवध नारायण पाण्डे
2. उ0नि0 सुरजीत सिंह
3. का0 अनुज

मीडिया सेल फतेहगढ।

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक- 28.06.2024

जनपद फतेहगढ़ में यूपी-112 सेवा के अन्तर्गत 09 चार पहिया स्कार्पियों पीआरवी व 03 दो पहिया पल्सर पीआरवी नई शामिल हुयी, जिनको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास कुमार द्वारा पुलिस लाइन से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास कुमार द्वारा जनपद फतेहगढ़ में यूपी-112 सेवा के अन्तर्गत अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित 09 नई चार पहिया स्कार्पियों पीआरवी व 03 नई दो पहिया पल्सर पीआरवी को पुलिस लाइन फतेहगढ़ से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

जनपद फतहेगढ़ में यूपी-112 सेवा के अन्तर्गत नये 12 पीआरवी वाहन जुडने के साथ ही कुल 54 पीआरवी वाहन जनपद फतेहगढ़ की जनता की सेवा में जुड़ जायेगें तथा फतेहगढ़ की जनता को यूपी-112 की और अधिक बेहतर सेवा प्राप्त हो सकेगी।

Shot by Amit Singh
2024 06 28 14:17

जिलाकारागार फतेहगढ
CERTIFIED JAIL